"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2008—अग्रहायण 21, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2008

क्रमांक ई-1-6/2008/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/05/2007-एआईएस (I)-ख, दिनांक 10-10-2008 के द्वारा श्री बृजेश चन्द्र मिश्रा, रा. प्र. से. को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है. फलस्वरूप उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, महामहिम राज्यपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री बृजेश चन्द्र मिश्रा की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति की तिथि 10-10-2008 से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत उप-सचिव, महामहिम राज्यपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-1-23/2008/1/2.—केरल शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, तिरूवनन्तपुरूम के आदेश क्रमांक G. O.(Rt) No. 8345/2008/GAD, दिनांक 28-10-2008 के द्वारा श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से. को दिनांक 10-10-2008 से अधिसमय वेतनमान रु. 18400-500-22400/- (छत्तीसगढ़ राज्य में अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर होने के फलस्वरूप प्रोफार्मा पदोन्नति) प्रदाय किया गया है.

2. अत: एतद्द्वारा श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से. (केएल: 1994), कलेक्टर, राजनांदगांव को अधिसमय वेतनमान रु. 18400-500-22400/- का लाभ दिनांक 10-10-2008 से देय होगा तथा उन्हें कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-1-13/2006/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2-1-2007 के द्वारा निम्नलिखित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान (रु. 18400-500-22400) में पदोन्नति प्रदाय की गई थी :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	तत्कालीन पदस्थापना (दि. 1-1-2007 की स्थिति में)	वर्तमान पदस्थापना
1.	श्री अजयपाल सिंह, (1986)	विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा
2.	श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, (1991)	विशेष सचिव, वित्त विभाग एवं संचालक, बजट, संचालक, संस्थागत वित्त एवं विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.	सचिव, ग्रामोद्योग विभाग एवं संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड तथा आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, रायपुर.
3.	श्री अवध बिहारी, (1991)	विशेष सचिव, वित्त विभाग	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल
4.	श्री मंशाराम ठाकुर, (1991)	सचिव, लोक आयोग	संचालक, आदिमजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर.
5.	श्री दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, (1991)	कलेक्टर, जशपुर	सचिव, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त.
6.	श्री आर. एस. विश्वकर्मा (1991)	कलेक्टर, राजनांदगांव	आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर

2. अत: एतद्द्वारा उक्त आदेश के अनुक्रम में अधिसमय वेतनमान का लाभ दिनांक 1-1-2007 से देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2008

क्रमांक ई-7/40/2004/1/2.—डॉ. बी. एस. अनंत, भा. प्र. से., आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा नियंत्रक, नापतौल, छ. ग., रायपुर को दिनांक 24-11-2008 से 29-11-2008 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23 एवं 29 नवम्बर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अनंत, आगामी आदेश तक आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा नियंत्रक, नापतौल, छ. ग., रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. अनंत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अनंत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2008

क्रमांक ई-7/2/2007/1/2.—श्री एम. के. त्यागी, भा. प्र. से., कलेक्टर, जिला-बीजापुर, छ. ग. को दिनांक 25-11-2008 से 04-12-2008 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री त्यागी आगामी आदेश तक कलेक्टर, बीजापुर, छ. ग. के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री त्यागी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री त्यागी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री त्यागी के उक्त अवकाश अवधि में श्री एन. के. खाखा, भा. प्र. से., उपायुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, बीजापुर का चालू कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2008

क्रमांक ई-7/34/2004/1/2.—डॉ. दुर्गेश मिश्रा, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 10-12-2008 से 12-12-2008 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09, 13 एवं 14 दिसम्बर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. मिश्रा आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2008

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर को दिनांक 25-11-2008 का 01 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2008

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा के बॉयलर क्र.-एम. पी./3530 को दिनांक 12-07-2008 से 10-10-2008 तक छूट प्रदान किया गया था, को दिनांक 11-10-2008 से 10-01-2009 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 29 नवम्बर 2008

क्रमांक/161/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	बड़े टेमरी प. ह. नं. 46	0.56	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महासमुंद.	सांकरा से झगरनडीह मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 29 नवम्बर 2008

क्रमांक/162/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	सांकरा प. ह. नं. 46	1.04	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महासमुंद.	सांकरा से झगरनडीह मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 2 दिसम्बर 2008

क्रमांक क/भू-अर्जन/38/अ-82/2007-2008.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बकावण्ड	तारापुर	1.710	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	तारापुर तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर/कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 2 दिसम्बर 2008

क्रमांक क/भू-अर्जन/39/अ-82/2007-2008.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बकावण्ड	तारापुर	0.18	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	तारापुर तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर/कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 25 नवम्बर 2008

क्रमांक/2534/अ. 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	पथराटोला प. ह. नं. 22	3.46	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	नहर नाली निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 नवम्बर 2008

क्रमांक/2535/अ. 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	मार्री प. ह. नं. 8	0.876	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बालोद.	मार्ग निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 नवम्बर 2008

क्रमांक/2536/अ. 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	माटरी प. ह. नं. 33	2.63	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	जलाशय निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 नवम्बर 2008

क्रमांक/2537/अ. 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	कुसुमकसा प. ह. नं. 20	1.03	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	जलाशय से नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 नवम्बर 2008

क्रमांक/2538/अ. 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	अरमुरकसा प. ह. नं. 20	2.04	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भोयरटोला जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 नवम्बर 2008

क्रमांक/2539/अ. 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	मड़ियाकट्टा प. ह. नं. 37/65	1.10	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	जलाशय निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 6 नवम्बर 2008

क्रमांक/12333/भू-अर्जन/कोरिया/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	तिलोखन	0.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ. ग.).	बिहीनाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 6 नवम्बर 2008

क्रमांक/12333/भू-अर्जन/कोरिया/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	घुटरा	3.37	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ. ग.).	घुटरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 6 नवम्बर 2008

क्रमांक/12333/भू-अर्जन/कोरिया/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	सलवा	1.13	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ. ग.).	घुटरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 6 नवम्बर 2008

क्रमांक/12333/भू-अर्जन/कोरिया/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	पेन्ड्री	1.72	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ. ग.).	घुटरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 6 अक्टूबर 2008

क्रमांक 11957/भू-अर्जन/कोरिया/08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-पोंडीडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	292/1	0.04
	296	0.08
	297	0.03
	299	0.02
योग	4	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोड़ांगी व्यपवर्तन योजना हेतु नहर निर्माण.

(3) भूमि का नकशा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां/चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 6 अक्टूबर 2008

क्रमांक 11957/भू-अर्जन/कोरिया/08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-कोड़ांगी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	2.07
814	0.01
74	0.02
84	0.02
85	0.01
109	0.07
107	0.03
105/1	0.08
121	0.04
123/1	0.09
71	0.04
72	0.03
229	0.04
227	0.03
230	0.01
300	0.03
232	0.04
294	0.02
295	0.06
296	0.03
302	0.02
306/1	0.03
315	0.03
318/1	0.02
419	0.03
321	0.02
322	0.01

(1)	(2)
324	0.01
योग 28	0.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोड़ांगी व्यपवर्तन योजना हेतु नहर निर्माण.

(3) भूमि का नकशा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां/चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 2 दिसम्बर 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/15/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बस्तर
 (ख) तहसील-बकावण्ड
 (ग) नगर/ग्राम-पाहुरबेल, प. ह. नं. 41
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1075/2	0.40
1075/4	0.08
1114	0.10
1148	0.10
1084	0.07
1085	0.01
1111	0.05
1174	0.05
योग 8	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- मालामुण्डा तालाब के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 2 दिसम्बर 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/34/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बस्तर
 (ख) तहसील-बस्तर
 (ग) नगर/ग्राम-केसरपाल, प. ह. नं. 35
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.528 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
47/1	0.138
49	0.252
48	0.060
51	0.276
66	0.066
65	0.108
64	0.126
63/1	0.060

	(1)	(2)
	63/2	0.060
	71/2	0.053
	79	0.050
	76/1	0.084
	76/2	0.039
	76/3	0.072
	76/4	0.084
योग	15	1.528

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना के अन्तर्गत केसरपाल माइनर नंबर-2, नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 2 दिसम्बर 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/35/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-नहरनी, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.091 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	175	0.198
	218	0.210
	221	0.168
	222	0.102
	156	0.113
	155	0.060
	154	0.036
	153	0.054
	332	0.114
	331	0.036
योग	10	1.091

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर के माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 2 दिसम्बर 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/36/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-केसरपाल, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.458 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24	0.225
222	0.126
225	0.030
227	0.114
383	0.440
207	0.246
380/1	0.024
386/1	0.081

	(1)	(2)
	387/2	0.022
	388/1	0.108
	388/2	0.042
योग	11	1.458

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना के अन्तर्गत केसरपाल माइनर नंबर-1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 2 दिसम्बर 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/37/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-बस्तर
(ग) नगर/ग्राम-केसरपाल, प. ह. नं. 35
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.513 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	36	0.051
	94	0.282
	99	0.180
योग	03	0.513

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना के अन्तर्गत केसरपाल माइनर नंबर-2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 28 नवम्बर 2008

क्रमांक 11707/अधीक्षक/2008.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 12269/अधीक्षक/2008 दिनांक 07-11-2008 के अनुसार जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर के मध्य किया गया कार्य विभाजन में श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर, कोरबा को आदिमजाति कल्याण विभाग कोरबा (नितीगत एवं वित्तीय विषयक निर्णयों को छोड़कर) शेष कार्यों के प्रभारी अधिकारी रहेंगे.

अशोक अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय, वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2008

क्रमांक/वक्फ सर्वे/8641/2008.—समस्त वक्फ सम्पत्तियों के मुतवल्लियों/सदर/अध्यक्ष को इत्तला दी जाती है कि छ. ग. शासन, वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छ. ग. द्वारा अधिसूचना क्रमांक/9678/2007/25-3/ आजाक, रायपुर दिनांक 30-10-07 के अनुसार प्रत्येक जिलों में वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है. जो वक्फ सम्पत्तियां का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र क्रमांक 34 दिनांक 25-08-89 भाग 3 (1) में किया गया है उसका सर्वे नहीं किया जाएगा. जो वक्फ सम्पत्तियों के सर्वे वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 4 में तथा धारा 5 में दिनांक 25-08-89 के राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुई है, सर्वे में छूट गई है एवं जो सम्पत्तियां आपकी संस्था को वक्फ की गई है अथवा क्रय की गई है अथवा शासन से प्राप्त हुई हो उन सभी वक्फ सम्पत्तियों की जानकारी मय वक्फनामा, रजिस्ट्री, शासन से प्राप्त भूमि दस्तावेज, ख. नं., नक्शा एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की साफ-साफ छायाप्रति, अनिवार्य रूप से अपने तहसील के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक आयुक्त, वक्फ एवं जिला कलेक्टर एवं अपर सर्वे आयुक्त वक्फ, वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त छ. ग. शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर एवं एक प्रति छ. ग. राज्य वक्फ बोर्ड, सी/12, सेक्टर 3, देवेन्द्र नगर, रायपुर को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें. अत: वक्फ सम्पत्तियों का सर्वे का कार्य अनिवार्य रूप से आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर पूर्ण करवायें ताकि वक्फ सम्पत्तियों को अवैध अतिक्रमण से रोका जा सके एवं उसकी सुरक्षा व विकास हो सके. इस बात का ख्याल रखा जाये कि वक्फ सम्पत्तियां किसी भी हालत में सर्वे में न छूटने पायें चूंकि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 4 के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों का सर्वे 20 वर्ष के पश्चात् ही किया जाता है.

अनिल चौधरी,
वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 12th November 2008

No. 80 (Mis)/I-7-3/2009/(Pt.-I).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following are the Vacations, Holidays of the High Court of Chhattisgarh for the Year 2009 :—

Summer Vacation :— Monday 18th May to Friday 12th June, 2009
Winter Holidays :— Monday 21st December to Thursday 31st December, 2009

S. No. (1)	Name of Holidays (2)	No. of Days (3)	Dates as per Gregorian Calendar (4)	Days of the Week (5)
1.	Holidays in continuation with Winter Holidays 2008.	2	01-01-2009 & 02-01-2009	Thursday and Friday
2.	Moharram	1	08-01-2009	Thursday
3.	Republic Day	1	26-01-2009	Monday
4.	Mahasivratri	1	23-02-2009	Monday
5.	Holi Holidays	5	09-03-2009 to 13-03-2009	Monday to Friday
6.	Ram Navami	1	03-04-2009	Friday
7.	Mahavir Jayanti	1	07-04-2009	Tuesday
8.	Raksha Bandhan	1	05-08-2009	Wednesday

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Janmashtami	1	14-08-2009	Friday
10.	Id-Ul-Fitr	1	21-09-2009	Monday
11.	Dashera Holidays	4	28-09-2009 to 01-10-2009	Monday to Thursday
12.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2009	Friday
13.	Deepawali Holidays	8	12-10-2009 to 19-10-2009	Monday to Monday
14.	Gurunanak Jayanti	1	02-11-2009	Monday
15.	Id-Ul-Zuha	1	28-11-2009	Saturday
16.	Guru Ghasidas Jayanti	1	18-12-2009	Friday
17.	Christmas	1	25-12-2009	Friday
18.	Moharram	1	28-12-2009	Monday

Notes :—

1. All the Sundays are declared holidays for the High Court and Registry including the Sundays falling during Summer Vacation.

2. The Saturdays falling on 10th January, 2009, 17th January, 2009, 14th February, 2009, 21st February 2009, 14th March, 2009, 21st March, 2009, 4th April, 2009, 18th April, 2009, 9th May, 2009, 16th May, 2009, 13th June, 2009, 20th June, 2009, 11th July, 2009, 18th July, 2009, 1st August, 2009, 15th August, 2009, 12th September, 2009, 19th September, 2009, 10th October, 2009, 17th October, 2009, 14th November, 2009, 21st November 2009, 12th December 2009 and 19th December 2009, shall be closed Saturdays for the High Court and Registry.

3. The Saturdays falling on 31st January, 2009, 28th February, 2009, 11th April, 2009, 8th August, 2009, 24th October, 2009 and 7th November, 2009 shall be working days for the High Court and all remaining Saturdays, which are not declared holidays and which are not included in summer vacation, are declared non-working Saturdays for the High Court but Registry shall remain open on these Saturdays.

4. Independence days, dated 15-08-2009 fall on closed Saturday, therefore, no holiday is declared separately.

5. The High Court shall remain closed from 18-05-2009 to 12-06-2009 on account of Summer Vacation but the Registry shall remain open during Summer Vacation.

6. The High Court shall remain closed from 21-12-2009 to 31-12-2009 on account of Winter Holidays but the Registry shall remain open during Winter Holidays.

7. Holidays declared on account of Moharram, Id-Ul-Fitr and Id-Ul-Zuha are subject to Change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/ Newspaper, the same will be followed.

8. The officers and employees of the High Court Establishment shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2009.

Bilaspur, the 21st November 2008

No. 931/Confdl./2008/II-3-1/2008.—The following candidates as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted at the places in the capacity as shown against their names in column No. (3) of the table below with a direction

to join their place of posting positively within 15 days from the date of this Order :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & address of newly appointed Civil Judge Class II (2)	Posted as & at (3)
1.	Ku. Radhika Saini D/o Shri Ranjeet Saini, Bungalow No. 5, Gandhi Road, Gwalior (M. P.) Pin-474002.	VI Civil Judge Class-II, Raipur
2.	Shri Manish Kumar Dubey S/o K. P. Dubey (Adv.), Bar Room No. 3, Civil Court, Sagar (M. P.).	III Civil Judge Class-II, Durg
3.	Shri Shailendra Chauhan, Jain Mandir Road, Pratapganj Ward, Jagdalpur, District-Bastar (C. G.).	III Civil Judge Class-II, Raigarh
4.	Shri Umesh Kumar Chauhan, 200 Vivekanand Nagar, Mopka, Bilaspur (C. G.).	II Civil Judge Class-II, Dhamtari
5.	Ku. Jyoti Agrawal, Bhind New Bus Stand, High School Road, Baloda-Bazar, District Raipur (C. G.).	IV Civil Judge Class-II, Bilaspur
6.	Smt. Vibha Pandey, Ajit Apartment, 3rd Floor, Flat No. 306, Beside Yash Palace, Near High Court, Bilaspur (C. G.).	VIII Civil Judge Class-II, Raipur
7.	Smt. Kiran Thawait, Panjari Plant, Chakradhar Nagar, Ward No. 29, Raigarh (C. G.).	IX Civil Judge Class-II, Raipur
8.	Ku. Deepa Katare, Katare House, Opp. 26 Shopping Complex, Vinay Nagar-1, Gwalior (M. P.).	X Civil Judge Class-II, Raipur
9.	Shri Shailesh Sharma, Kelabadi "Smarika", Durg (C. G.)	Civil Judge Class-II, Kawardha
10.	Shri Santanu Kumar Deshlahare Qtr. No. 26/B, Street No. 11, Sector-2, Bhilai Nagar, District-Durg (C. G.).	I Civil Judge Class-II, Janjgir
11.	Shri Abhishek Sharma, C/o Radheshyam Sharma, Krishna Palace Colony, Near Ameri Phatak, Shanti Nagar, Bilaspur (C. G.).	IV Civil Judge Class-II, Durg
12.	Ku. Anju Gupta, Near Indane Gas Agency, Karbalapara, G. E. Road, Raipur (C. G.).	VI Civil Judge Class-II, Bilaspur

Bilaspur, the 22nd November 2008

No. 938/Confdl./2008/II-2-99/2001.—On the request of Shri Radha Kishan Agrawal, Additional District & Sessions Judge, Kanker, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant permission to correct his name as "Shri Radhakishan Agrawal" with a direction that necessary changes be effected in all his service records.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 6th November 2008

No. 48/L.G./2008/II-2-3/2005.—Shri C. L. Patel, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 05 days from 10-11-2008 to 14-11-2008 and permission to prefix holidays of 08th & 09th November and suffix holidays of 15th & 16th November, 2008 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Patel, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+06 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 12th November 2008

No. 49/L.G./2008/II-2-8/2004.—Shri P. K. Shrivastava, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 05 days from 17-11-2008 to 21-11-2008 along with permission to leave headquarters for the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.